क्रिकेट | स्वर्गीय आर. एस. त्रिपाठी डे-नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता

मन्नत, जेडीए बॉयज ने जीते मैच

नवभारत, जबलपुर। सुरक्षा कर्मचारी यूनियन के तत्वावधान में आयोजित डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में तीन महत्वपूर्ण मुकाबले खेले गए। इन मैचों में मन्नत एकादश, जी.सी. टाइगर और जे.डी.ए. बॉयज ने अपने-अपने प्रतिद्वंद्वियों को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में मन्नत एकादश ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए ओ.एफ.के. लायंस को 41 रनों से हरा दिया। मन्नत एकादश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 4 विकेट खोकर 122 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से रोहित ने मात्र 24 गेंदों पर 54 रनों की धुआंधार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओ.एफ.के. लायंस की टीम 81 रनों पर सिमट गई। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच रोहित जिन्होंने 54 रन एवं 1 विकेट लिया।

वहीं दूसरा मैच जी.सी. टाइगर बनाम यंग बॉयज के बीच खेला गया जिसमें जी.सी. टाइगर ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 7 विकेट पर 56 रन बनाए। जवाब में यंग बॉयज की टीम मात्र 42 रनों पर ढेर हो गई। मैच में जीसी टाइगर की ओर से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच भूरा रहे जिन्होंने 4 विकेट लिये। तीसरे मैच में जे.डी.ए. बॉयज ने रॉयल मैड्स पर 9 विकेट से एकतरफा जीत हासिल की। रॉयल मैड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 5 विकेट खोकर 66 रन बनाए। जे.डी.ए. बॉयज ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मात्र 5.4 ओवर में ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया। शिवम मिश्रा ने गेंद और बल्ले दोनों से हरफनमौला प्रदर्शन किया। मैन ऑफ द मैच शिवम मिश्रा को दिया गया। इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में संजय तिवारी, गजेंद्र पाल, टी. रॉबिन, इलियास और दुर्गेश सोनी निर्णायक (अंपायर) विद्यापति श्रीवास्तव, कमलेश तिवारी, मुकेश मेडी, निखिल यादव, जशवंत, स्कोरर चंदन पटेल, सुनील यादव, कुणाल कुंभारे, कमेंटेटर गजेंद्र पाल, सुनील खत्री और यूनियन के पदाधिकारियों में आनंद शर्मा, राकेश रंजन, अखिलेश पटेल, राकेश शर्मा, अनिल गुप्ता, महेंद्र रजक, धर्मेंद्र रजक, मुकेश विनोदिया सहित अन्य मौजूद रहे।

अभिजीत ने सब जूनियर, प्रियांश ने जूनियर का खिताब जीता

नवभारत, जबलपुर। अमेच्योर पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट द्वारा जिला स्तरीय बेंचप्रेस चैंपियनशिप का आयोजन पीएसएम हॉल परिसर मे किया गया, जिसमे लगभग 100 महिला पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में अभिजीत सब जूनियर, प्रियांश जूनियर, अतुल सीनियर, नरेश मास्टर व डिम्पल ने महिला वर्ग मे स्ट्रांगमेन के खिताब जीते प्रतियोगिता का शुभारम्भ विवेक राम सोनकर पार्षद, अलोक श्रीवास्तव जनरल मैनेजर एमपीईबी, अजय उसकवार एमपीबी, एनबी क्षत्रि एमपीईबी, दीपक पटेल अधिवक्ता, संरक्षक सुनील यादव, जिला अध्यक्ष संजय साहू, महासचिव मध्य प्रदेश प्रकाश यादव द्वारा पूजन अर्चन के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया वही निर्णायक की भूमिका मे जिला सचिव प्रदीप पटेल, गुरुचरण श्रीवास्तव, विजय रजक, रवि यादव, हर्ष गोस्वामी, लकी पटेल एवं लोडर की भूमिका मे पार्थ, ध्रुव, नीलेश का सहयोग सराहनीय रहा।

प्रतिबंधित मांगुर मछली से भरा कंटेनर जब्त

नवभारत, दमोह। पटेरा में मत्स्य विभाग और पटेरा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित मांगुर मछली से भरा कंटेनर पकड़ा है. कन्टेनर में करीब डेढ़ से दो टन डेढ़ से दो लाख रूपये क़ीमत आइलैंड मांगुर मछली भरी पाई गई है, जब्त मछली की कीमत करीब एक लाख रुपए बताई गई है। बता दे कि मांगुर मछली मप्र में वेन है, यह मांसाहारी प्रजाति की मछली होती जो तालाब और जलाशयों में देशी मछली प्रजाति को खाकर खत्म कर देती हैं. जिससे पर्यावरण को खतरा होता है. एक अनुमान के मुताबिक यह मछली 70 प्रतिशत देशी मछलियों को समाप्त कर चुकी है, एनजीटी द्वारा इसके पालन विक्रय पर वेन किया गया है. मांगुर मछली के तेजी से वजन के साथ बढ़ने के कारण तस्कर और बिक्रेता इसका उपयोग करते हैं।

वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों का फंसाने की प्रवृत्ति चिंताजनक

नवभारत, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने दहेज प्रकरण से जुड़े एक मामले में कहा है कि वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा है कि वैवाहिक विवाद के दौरान लगाए गए सामान्य आरोपों के माध्यम से झूठे आरोप, यदि अनियंत्रित छोड़ दिए जाएं तो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उक्त मत के साथ न्यायालय ने पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी कार्रवाई निरस्त कर दी। हालांकि न्यायालय ने कहा कि पति के खिलाफ ट्रायल जारी रहेगा।

दरअसल विदिशा निवासी शुभम साहू व अन्य की ओर से यह मामला दायर किया गया। जिनकी ओर से अधिवक्ता आकाश सिंघई ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शुभम की शादी सागर में रहने वाली निधि से 2022 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद निधि की तबियत खराब होने लगी और वह अपने मायके चली गई। कुछ दिन बाद निधि लापता हो गई। शुभम ने जुलाई 2025 में विवाह विच्छेद का आवेदन लगाया। इसके विरोध में पत्नी ने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज प्रताडऩा की एफआईआर दर्ज करवा दी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक विवादों में बिना ठोस साक्ष्य के परिवार के सदस्यों को फंसाना न्यायसंगत नहीं है। उक्त मत के साथ न्यायालय ने रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर व कार्रवाई निरस्त कर दी।

35 वारंटी, 18 तस्करों को दबोचा गया

जबलपुर। शहर लेकर ग्रामीण अंचल की पुलिस ने गुंडे-बदमाशों, वारंटियों पर कार्रवाई की। पिछले कई वर्षो से फरार 6 गैरम्यादी, 29 म्यादी वारंटी, को गिरफ्तार किया गया है एवं 54 जमानती वारंट तामील किये गये। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 18 व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 45 पाव देशी, अंग्रेजी एवं 31 लीटर कच्ची शराब जप्त की गयी। इसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 213 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये 79 हजार 100 रूपये समन शुल्क वसूला गया।

माता मरियम प्रभु यीशु की सच्ची शिष्या रहीं : फादर रवींद्र

▸ फातिमा माता मरियम की वार्षिक भक्ति का दूसरा दिन

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर में सेंट थॉमस स्कूल परिसर स्थित फातिमा की माता मरियम के तीर्थस्थल में वार्षिक भक्ति के अंतर्गत मंगलवार को नौदिवसीय प्रार्थना का दूसरा दिन रहा। इस पावन ख्रीस्तयाग के मुख्य याजक सेंट थॉमस चर्च, रांझी के सहायक पल्ली पुरोहित फादर रवींद्र ने भक्तजनों की उपस्थिति में पावन ख्रीस्तयाग अर्पित करते हुए कहा कि माता मरियम का नाम धन्य और पावन है। माता मरियम का नाम विश्वास का, भरोसे का और आज्ञाकारिता का, पवित्रता का एवं शुद्धता का नाम है। माता मरियम प्रभु यीशु की वास्तव में सच्ची शिष्या रहीं। उनसे हम यह सीख सकते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु की बातों पर विश्वास किया और अपना जीवन समर्पित किया। माता मरियम ने प्रभु यीशु की हर एक आज्ञा का पालन किया और हमें भी कहा कि जैसा यीशु कहते हैं वैसा ही करो। स्वर्गदूत गैब्रियल के संदेश पर उन्होंने कहा था कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। स्वर्गदूत के संदेश के बाद पूर्ण भरोसे और विश्वास के साथ ईश्वर की योजना के लिए माता मरियम हां कहती हैं। हमको अच्छा अवसर मिला है कि हम फातिमा माता मरियम के वार्षिक महोत्सव में सम्मिलित होकर आशीषों को पा रहे हैं।

तीर्थस्थल में की गई आकर्षक साज सजावट

मंगलवार को पावन ख्रीस्तयाग में पूर्व धर्माध्यक्ष परम श्रद्धेय बिशप जेराल्ड अलमेडा, फादर ख्रीस्तुराज, फादर जॉन वॉल्टर खालको, फादर बेंजामिन सहित फादर बिपिन खालको की उपस्थिति रही। माता मरियम के तीर्थस्थल की बेहद ही आकर्षक साज सजावट की गई है। माता मरियम के भक्त पवित्र तीर्थस्थल में मोमबत्ती जलाकर एवं पुष्पों को अर्पित कर के अपनी मन्नतें मांगते हुए प्रार्थना में लीन थे। श्राइन प्रबंधन के चैपलिन फादर बिपिन खालको ने माता मरियम के भक्तजनों से आगामी दिवसों में मिस्सा पूजा एव नवीना प्रार्थना में उपस्थिति की अपील की है। साथ ही माता मरियम के तीर्थस्थल प्रबंधन के द्वारा सभी भक्तों को मई माह की भक्ति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है।

तैयारियां जितनी अच्छी होंगी, उतना ही कम नुकसान होगा : कलेक्टर

▸ बोले, बाढ़ और जलप्लावन की स्थिति से निपटने जरूरी कदम उठाए जाएं

नवभारत, जबलपुर। हमारी तैयारियां जितनी अच्छी होंगी आपदा में होने वाले नुकसान उतना ही कम किया जा सकेगा। राहत शिविर के लिए चिन्हित क्षेत्रों में खाद्यान्न और दवाओं का भण्डारण भी सुनिश्चित कर लिया जाए। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जल स्त्रोतों की साफ-सफाई के कार्य भी समय रहते पूरे कर लिए जाने चाहिए। ये निर्देश कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने वर्षा काल के दौरान बाढ़ और जलप्लावन की स्थिति से निपटने एवं प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के संचालन के लिए सभी जरूरी प्रबंध करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर सिंह बाढ़ की स्थिति से निपटने एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बाढ़ और जल प्लावन की स्थिति में पशुओं के उपचार एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी बैठक में दिए गये।

समन्वय कीआवश्यकता, सुरक्षित स्थान चिन्हित कर ले

कलेक्टर ने बैठक में बाढ़ और जल प्लावन वाले क्षेत्रों में राहत शिविरों के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित करने की आवश्यकता भी बताई। कलेक्टर सिंह ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी विभागों एवं एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई।

सूचना तंत्र मजबूत बनायें

कलेक्टर ने अधिकारियों को एक दूसरे से निरंतर संपर्क में रहने तथा सूचना तंत्र को मजबूत बनाने की सलाह भी दी। कलेक्टर ने राहत एवं बचाव कार्य के संचालन के लिए मोटर वोट, नाव एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता भी चिन्हित क्षेत्रों में सुनिश्चित करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने बरगी बांध परियोजना के अधिकारियों को बांध से पानी छोड़ते वक्त निचले इलाकों के रहवासियों को सतर्क कराने के लिए घाटों और डूब में आने वाले क्षेत्रों में समय रहते मुनादी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ एवं जल प्लावन की स्थिति से निपटने के उपायों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत भी बताई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में मध्यप्रदेश औधोगिक विकास निगम के क्षेत्रीय संचालक अनिल कुमार राठौर एवं जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत भी मौजूद थे।

आबकारी विभाग ने अवैध शराब के 5 प्रकरण किए कायम

डिंडोरी, नवभारत। जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु आबकारी विभाग वृत्त शहपुरा, बजाग और समनापुर में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश कर कार्यवाही की गई। जिसमें आरोपी जयकरण पिता सदैया सिंह साकिन पिंडरई माल थाना शहपुरा के ढाबा से 8 पाव देसी मदिरा प्लेन, 6 पाव देसी मदिरा मसाला, 6 बोतल लिमाउण्ट बीयर और 6 बोतल बोल्ट बीयर, हेमाबाई पति शिव प्रसाद साकिन करौंदा थाना शहपुरा से 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, राहुल पिता संतोष अग्रवाल साकिन गोरखपुर के मोबाइल दुकान से 25 पाव देसी मदिरा प्लेन, पुष्पा बाई पति रितेश नंदा ग्राम रुसा थाना करंजिया से 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, सुनीता बाई पति अजय साकिन गंगू टोला समनापुर से 8 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई। जिसमें 33 पाव देशी मदिरा, 6 पाव देशी मदिरा मसाला, 12 बोतल बीयर और 24 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई है। जिसकी अनुमानित कुल कीमत 9915/- रुपए है। उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) 'क' के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

इनकी रही मुख्य भूमिका

उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक सम्हर सिंह धुर्वे, प्रहलाद सिंह चौहान, आबकारी आरक्षक राम भरोस ठाकुर, छिद्दी लाल झारिया, मनीष उइके, करिश्मा सलामे व नगर सैनिक कोता बाई, तोक सिंह मरावी, वाहन चालक सुरेन्द्र सिंह ठाकुर और कुलदीप उइके द्वारा किया गया।

कलेक्टर ने जिला अस्पताल के उन्नयन का प्रस्ताव शासन को भेजा

नवभारत, दमोह. जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होने बताया जिला चिकित्सालय दमोह को 300 बिस्तर से बढ़ाकर 500 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होने बताया मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया गया कि उनके निर्देश पर प्रस्ताव भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि कलेक्टर श्री यादव द्वारा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति का अवलोकन किया गया।

न्यायालय तहसीलदार तहसील अधारताल, जबलपुर
रा.प्र.क्र./0449/अ-6/2026-27
जबलपुर, दिनांक 05/05/2026
आम इश्तहार
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री आकर्ष जैन पिता स्व. श्री जिनेन्द्र कुमार जैन निवासी 77, गंजीपुरा मेन रोड़, भारतीय श्रृंगार राम मनोहर लोहिया वार्ड, जबलपुर के द्वारा मौजा सुभाष नगर, शीट नं. 70 प्लॉट नबर 124/2 स्थित भूमि खसरा में से रकवा 1789 वर्गफुट भूमि पर जिनेन्द्र कुमार जैन की मृत्यु दिनांक 16/07/2023 को हो जाने के कारण वर्तमान राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किये जाने हेतु विक्रय पत्र / फौती / वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र सहित अन्य दस्तावेज सलग्न कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 21/05/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत दावा / आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
आज न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
जारी दिनांक :- 05/05/2026
पेशी दिनांक :- 21/05/2026
सील
तहसीलदार
अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)

न्यायालय तहसीलदार तहसील अधारताल, जबलपुर
रा.प्र.क्र./0424/अ-6/2026-27
जबलपुर, दिनांक 30/04/2026
आम इश्तहार
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती संगीता सोनी अन्य पति स्व. श्री राजेश कुमार निवासी नार्मल स्कूल, रोड गंजीपुरा जबलपुर के द्वारा मौजा नजूल ब्लॉक नंबर 76 प्लॉट नबर 13/3 स्थित भूमि खसरा में से रकवा 1754 वर्गफुट भूमि पर राजेश कुमार सोनी पिता विष्णु प्रसाद की मृत्यु दिनांक 19/04/2024 को हो जाने के कारण वर्तमान राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किये जाने हेतु विक्रय पत्र / फौती / वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र सहित अन्य दस्तावेज सलग्न कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 15/05/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत दावा / आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
आज न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
जारी दिनांक :- 30/04/2026
पेशी दिनांक :- 15/05/2026
सील
तहसीलदार
अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)

दो कर्मचारी निलंबित

नवभारत, दमोह। जिले में आयोजित जनसुनवाई में आज कुल 223 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि बड़ी संख्या में आवेदन मिलना इस बात का संकेत है कि जिलेवासियों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ रहा है। जनसुनवाई के दौरान दो गंभीर मामले भी सामने आए। पीएम आवास योजना के तहत ग्राम पंचायत पटना कुम्हारी में सचिव विजय खंपरिया द्वारा एक महिला रूपरानी से गलत तरीके से पैसे लेने और गुमराह करने का मामला सामने आया। इस पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई, साथ ही हल्का नं. 10 सोजना, तहसील पटेरा की पटवारी प्रिया श्रीवास्तव पर सीमांकन और तरमीम में लापरवाही तथा सीएम हेल्पलाइन शिकायत का गलत निराकरण दर्ज करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया।

न्यायालय तहसीलदार तहसील अधारताल, जबलपुर
रा.प्र.क्र./0450/अ-6/2026-27
जबलपुर, दिनांक 05/05/2026
आम इश्तहार
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री जितेन खीमजी लालन पिता स्व. श्री खीमजी एच लालन - निवासी म.नं. 15 पुष्पकुन्ज कॉलोनी, शारदा टाकीज के पीछे, गोरखपुर, जबलपुर के द्वारा मौजा सुभाष नगर, शीट नं. 72 का भाग प्लॉट नबर 161/1-C स्थित भूमि खसरा में से रकवा 3562 वर्गफुट भूमि पर श्रीमती लक्ष्मी के. लालन की मृत्यु दिनांक 06/12/2025 को हो जाने के कारण वर्तमान राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किये जाने हेतु विक्रय पत्र / फौती / वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र सहित अन्य दस्तावेज सलग्न कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 21/05/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत दावा / आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
आज न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
जारी दिनांक :- 05/05/2026
पेशी दिनांक :- 21/05/2026
सील
तहसीलदार
अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर — लोककर्म विभाग
// चतुर्थ निविदा आमंत्रण सूचना //
N.I.T.No./PWD/2025-26/04/E-tendering/PRO-128 Date : 05/05/2025
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार/मान्यता प्राप्त फर्म से निम्नलिखित कार्यो के लिए ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य समयावधि एवं लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2026_UAD_504941_1 05/05/2026	संभाग क्रमांक-04 पं. बनारसी दास भनोत वार्ड अंतर्गत कुंज निकुंज कालोनी रोड के दोनो ओर कवर्ड नाली निर्माण, सीमेंटीकरण एवं चेकर्ड टाईल्स लगाने का कार्य। (चतुर्थ निविदा) (पार्षद अनुशंसा)	03 माह ₹.4.22	2000/- 4230/-	20/05/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट www.mptenders.gov.in में पर किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
कार्यपालन यंत्री संभाग क्रमांक-04, नगर निगम जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)
// निविदा आमंत्रण सूचना //
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य समयावधि एवं लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	PRO- 127 Date-05/05/2026 2026_UAD_505233_1	संभाग क्र.09 लालमाटी अंतर्गत जाट समाज मुक्तिधाम में मुख्यद्वार बाउंड्रीवाल, गार्डन एवं चौकीदार के लिये रूम एवं अन्य आवश्यक कार्य। (महापौर अनुशंसा)	04 माह 18.13	2,000/- 13602/-	05/06/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट https://mptender.gov.in पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
कार्यपालन यंत्री नगर निगम जबलपुर

खंड-1
मध्यप्रदेश शासन
कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट, मध्यप्रदेश
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या/08/ ई-टेंडरिंग/2026-27 बालाघाट, दिनांक 24/04/2026
1. वनमण्डल अधिकारी उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अन्तर्गत निम्नलिखित निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र.	सामग्री का विवरण	कार्य की मात्रा	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1.	Hardware and Sanitory Materials for Construction and Maintenance Work (Detail Items List Attach with Tender Document)	आवश्कतानुसार	54000	1000/- Tax extra

- * निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट www.mpforest.gov.in पर निशुल्क देखे और डाउनलोड किये जा सकते है।
- * इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 27/04/2026 बजे 11:00 AM से दिनांक 11/05/2026 बजे 11:00 PM तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते है।
- * ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्तवपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होगी।
- * निविदा पूर्व बैठक दिनांक 06/05/2026 को समय 03:00 PM को उप वनमण्डल कार्यालय उकवा(सा.), उप वनमण्डल बालाघाट में आयोजित की जायेगी जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अभिकृत प्रतिनिधि स्वयं या विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले सकते है। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होंगे जिन्होंने ई-टेण्डर फॉर्म खरीदे हैं।
- * ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्विपत्र / परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- * ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल : https://mptenders.gov.in

जी-12454/26
स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता
वनमंडलाधिकारी
उत्तर सा.वनमण्डल बालाघाट